अनुसूची –9

(नियम–(225) देखे)
परिसंकटमय प्रकियाः

(1) छत कार्य।

(2) इस्पात परिनिमार्ण।

(3) पानी के भीतर और उपर कार्य।

(4) विद्वंवस करना।

(5) परिरूद स्थानों में कार्य।

अनुसूची – 10

(नियम–225 (ख) देखें)

व्यवसायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दी जाने वाली सेवाए और सुविधाएः

(1) ऐसे भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य में जो एक हजार तक कर्मकारों का नियोजन करता है, के लिए एक पूर्णकालिक निर्माण चिकित्सा अधिकारी और प्रत्येक अतिरिक्त एक हजार कर्मकारों को या उसके भाग के लिए अतिरिक्त निर्माण चिकित्सा अधिकारी।

(2) प्रत्येक निर्माण चिकित्सा अधिकारी के साथ पूर्ण कार्य–घंटों के लिए स्टाफ जिसमें एक नर्स, एक ड्रेसर एंव कंपाउंडर, एक स्वीपर एंव वार्ड–बॅाय सम्मिलित है।

(3) व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिसका फर्श क्षेत्र न्यूनतम पन्द्रह वर्ग मीटर हो जिस पर चिकनी दीवारों और अप्रवेश्य सेवा वाले दो कमरे बने हों और जो पर्याप्त मात्रा में प्रदीप्त और संवातित हों।

(4) रोजमर्रा के उपचार के लिए पर्याप्त उपस्कर।

(5) किसी चिकित्सीय आपातकाल के लिए आवश्यक उपस्कर।

अनुसूची – 11

(नियम 119 (2) और 225 (ग) देखें)
निर्माण चिकित्सा अधिकारी की अर्हताएं:–

(1) भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्रप्त चिकित्सा संस्थान से एम0बी0बी0एस0 की उपाधि (डिग्री)।

(2) औद्योगिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा अथवा औद्योगिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण का समतुल्य स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र।

(3) एक चिकित्सा अधिकारी के लिए जिसे, खानों, बन्दरगाहों (पतन) नथा डॉक, कारखरानों और भवन निर्माण तथा अन्य निर्माण कार्यों में नियोजित कर्मकारों की नीति, निष्पादन तथा सलाह और सुरक्षा तथा स्वास्थ्य से जुडे संगठन/ स्थापन में कम से कम तीन वर्ष का कार्यकरण अनुभव हो, भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण के मुख्य निरीक्षक के समाधान के अधीन, उपरोक्त मद (2) में निर्दिष्ट प्रशिक्षण रखना अपेक्षित होगा।

(4) उपरोक्त प्रमाण–पत्रों के लिए पाठयकमों का पाठ्य विवरण और ऐसे पाठ्यकम चलाने वाले संगठन हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुमोदित होगें और वह समय–समय पर ऐसे संगठनों का पैनल भी तैयार कर सकेगें।

(5) निर्माण चिकित्सा अधिकारी का नाम, अर्हता और अनुभव सहित संपूर्ण विशिष्टियॉ, अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक को सूचित की जाएगी।